न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारी:– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 1304 / 2021 प्रार्थना पत्र

1. श्री नबीनूर पिता कासम खॉं जी जाति मेव मुसलमान आयु वयस्क निवासी– निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0

– प्रार्थीगण

/ / बनाम / /

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और से.– अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत उपस्थित

आदेश

दिनांक:– 31-5-2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी नबीनूर पिता कासम खॉं जी जाति मेव मुसलमान आयु वयस्क निवासी– निम्बाहेडा ने बिन्दु संख्या 1 की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा निम्बाहेड़ा त0 निम्बाहेड़ा के साबिक खाता स. 202 की आराजी नम्बर 637 / 12 रकबा 1.3400 हे0 हैं । कुल किता 02 कुल रकबा 2.1400 हे कुल लगानी 14 रू 98 पैसे स्थित है तथा आराजीयत सयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 1 / 4 हक हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी की पुश्तैती है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस पेश व साथ में राशन कार्ड व परिचय–पत्र की फोटो प्रति पेश है।

आराजीयात मुझ प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई तथा उक्त आराजीयात में मेरा नाम सहवन से अल्लारख पिता कासम खॉं जी दर्ज रेकार्ड की जबकी मेरा सही नाम प्रार्थी को नबीनूर पिता कासम खॉं जी जाति मेव जी है जबकि मुझ प्रार्थी का वास्तविक नाम नबीनुर खॉं पिता कासम खॉं नि. निम्बाहेड़ा है। राशन कार्ड व परिचय–पत्र व नौकरी में भी मुझ प्रार्थी का नाम नबीनूर खॉं पिता कासम खॉं जी मेव मुसलमान दर्ज है जिनको नबीनूर पिता कासम खॉं जी मेव मुसलमान के नाम से राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित करना आवश्यक एवं न्यायोचित होने विरासत होने ये विरासत में प्राप्त हुई और उसी समय यह टेक्नीकल गलती हुई है। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है. जिसकी पुरानी खाते की नकल थी साथ में पेश है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी नबीनूर पिता कासम खॉं के हवाले से प्रार्थी ग्राम कासोद का विचाराधीन प्रकरण संख्या 1304 / 2015 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट के तहत श्री नबीनूर पिता कासम खां मेव निवासी

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

निम्बाहेडा द्वारा प्रार्थना पत्र के तहत राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में अल्लारख पिता कासम खां दर्ज है जो गलत होकर नबीनूर पिता कासम का नाम दर्ज करवाना चाहते है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति एवं उपस्थित मौत बिरानो के समक्ष जांच की गई जिसमें जाहिर आया कि श्री अल्लारख पिता कासम खां के नाम कासोद के खाता न.218 / 2022–80 पर भूमि दर्ज है मौतबिरानो द्वारा बताया गया इनका नाम नबीनूर एवं अल्लारखा खां दोनो नाम से जाना जाता है वर्तमान में परिचय पत्र क्रमांक RJ/19/125/207601 एवं राशन कार्ड क्रमांक 00075 तथा आधार कार्ड क्रमांक 749287598374 अनुसार नबीनूर पिता कासम खां अंकित है। अतः रिकार्ड उचित कार्यवाही आदेशार्थ पेश हैं ।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने आवेदन अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0एक्ट0 में करा है किन्तु धारा 136 के अन्तर्गत गत रेकार्ड एंव वर्तमान रेकार्ड में आए अन्तर को ही संशोधित किया जाता हैं । वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वर्णित त्रुटि आरम्भ से ही रेकार्ड चली आ रही हैं । ऐसी स्थिति में प्रकरण धारा 136 को नही बनता हैं । प्रार्थी को सक्षम राजस्व न्यायालय में इन्तकाल की अपील प्रस्तुत कर वांछित सहायता प्राप्त करनी चाहिए । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य हैं ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31.05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)